R.R. No. 361 /DGP/SKM
DATED 20/3/17

R.R. No. 276 AIGP/PHQ
Dated 21.3.17

R. R. NO. 284 /ADGP/HQ
DATE 21.03.2017.

MOST IMMEDIATE

No.18 /1/2017-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
(Public Section, Room No. 13)
***

North Block, New Delhi.
Dated 09 March, 2017.

09 MAR 2017

To

1. The Chief Secretaries of all State Governments.
2. Administrators of all UTs.
3. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
4. DGPs of all State Governments/UT Administrations.
5. DGs of CAPFs / RPF
6. Secretaries of all Ministries/Deptts. of the Govt. of India.

Subject: **Recommendations for Ashoka Chakra series of Gallantry awards to be announced on Independence Day, 2017.**

Sir/Madam,

The Government of India has instituted several awards to honour individual acts of merit and gallantry. The idea behind instituting a system of awards and decorations is that the awards and decorations, which are tangible tokens of recognition of the service rendered by an individual, could act as a powerful incentive for greater efforts by that person and also serve as an example for others to emulate.

2. The Ashoka Chakra series of gallantry awards are amongst the highest gallantry awards of the country. These awards are given in three categories viz. *Ashoka Chakra* (awarded for most conspicuous bravery or some act of daring or pre-eminent valour of self sacrifice), *Kirti Chakra* (awarded for conspicuous gallantry) and *Shaurya Chakra* (awarded for gallantry). The awards are announced by the Government of India on the occasions of Republic Day and Independence Day every year. Besides the Defence personnel, civilian citizens of either sex in all walks of life, and members of Police Forces, Central Armed Police Forces and Railway Protection Force are also eligible for these awards.

3. It is the practice to invite nominations/recommendations for the gallantry awards twice every year from all State/UT Governments and Ministries/Departments of the Government of India. It has, however, been our experience that very few recommendations are received. This is despite the fact that various incidents of gallant acts performed by individuals are regularly reported in the print and electronic media. Such acts of bravery/gallantry go unrecognized in the absence of appropriate recommendation in their favour by the State Governments or other organizations to which the individual involved in the gallantry act belongs. This matter therefore deserves its due attention.

Contd.p.2/-

A.D/Coop
Sir
As directed above n/o P.I.

4. You are, therefore, requested to send appropriate nominations/ recommendations for gallantry awards to be announced on **Independence Day-2017**. The recommendations are to be sent in the **enclosed proforma <u>latest by 30th April, 2017.</u>**

5. While finalizing the recommendations, the following points may be kept in view:-

(i) It may be ensured that the person recommended for the award is bonafide and suitable candidate for the award.

(ii) Complete details of the gallantry act, including sequence-wise details of the steps taken by the person connected with the act, nature of risk involved, etc should be clearly mentioned in the recommendation. This should be properly corroborated by documents like FIR or other report from police authority.

(iii) A certificate about the verification of the Character and antecedents of the person recommended is forwarded in the enclosed format along with the recommendation, in the absence of which the recommendation will not be considered.

(iv) The gallant act for considering recommendations for Ashoka Chakra series of awards should have been performed not more than **two calendar years** ago from the date of occasion i.e. Independence Day in this case. not be beyond two calendar years from the date on which the act of Gallantry is performed. Therefore, recommendations for gallantry acts performed in the **calendar year 2016 and the calendar year 2017** may only be forwarded to this Ministry for consideration.

(v) The last date for receipt of the recommendations i.e. 30.04.2017 may be strictly adhered to.

(vi) Photograph and brief Life Sketch of the recommended person should also be sent.

Yours faithfully,

(V.K. Rajan)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel. No. 011-23094376

Encl: As above.

ASHOKA CHAKRA SERIES OF GALLANTRY AWARD

(Proforma for recommendation of Ashoka Chakra Series of Gallantary Awards)

Part – A

1	Full Name in English (in Block letter)	
2.	Full Name in Hindi	
3.	Designation, if employed	
4.	Date of Birth/Age	
5.	Name of employer with complete address, if any	
6.	Name of the Next-of-kin (In case of posthumous awards)	
7.	Relation-ship of Next-of-Kin with the awardee	
8.	Present Address (with telephone/fax/e-mail, if any for contact)	
9.	Permanent Address	
10.	Date of incident	
11.	Nature of act for which the recommendation made	
12.	Award recommended (i.e. Ashoka Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chakra)	
13.	Whether Posthumous Award	Yes/No
14.	Details of Gallantry series fo award received earlier, if any, with incident	Award: Year:
15.	Recommending authority (Complete Address/Telephone/Fax)	

PART-B
CITATION

NB: Citation should be attached separately in the form of a write-up giving complete sequence-wise details of the gallantry act in about 200-250 words properly supported by documents like FIR or other report from police authority.

ASHOKA CHAKRA SERIES OF GALLANTRY AWARD

(Proforma for verification of the character & antecedents of the recommended person)

CERTIFICATE

It is certified that the character and antecedents of Shri/Smt.* ______________________________

____

have been verified and it is confirmed that nothing adverse has been reported against him/her.

(Signature)

Name & Designation of the Recommending Authority

Date:

____

*(Name, Father's Name and Address of the person recommended)

(5

अति तत्काल

सं 18/1/2017-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग, कमरा न.13)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक : 9.3.2017

सेवा में,

09 MAR 2017

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
2. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ।
4. सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों के पुलिस महानिदेशक।
5. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/ रेलवे पुलिस बल के महानिदेशक
6. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव।

विषय : स्वतंत्रता दिवस, 2017 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कारों के लिए सिफारिशें भेजना।

महोदय / महोदया,

भारत सरकार द्वारा सराहना और शौर्य के व्यक्तिगत कार्यों का सम्मान व्यक्त करने के लिए कई पुरस्कार प्रदान करने की परम्परा है। इन पुरस्कारों एवं सम्मानों की प्रणाली शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि ये पुरस्कार और सम्मान, जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई सेवा को मान्यता प्रदान करने के प्रतीक-स्वरूप होते हैं, उस व्यक्ति के लिए और अधिक प्रयास करने का शक्तिशाली प्रेरक बन सकते हैं एवं दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी बनते हैं।

2. अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कार देश के सर्वोच्च शौर्य पुरस्कारों में से हैं। ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं अर्थात अशोक चक्र (यह अत्यधिक वीरतापूर्ण कार्य या साहसिक कार्य या उत्कृष्ट कार्य या आत्म-बलिदान के कार्य के लिए प्रदान किया जाता है), कीर्ति चक्र (यह अत्यधिक उत्कृष्ट शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है) और शौर्य चक्र (यह शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है)। इन पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार द्वारा हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है। रक्षा कार्मिकों के अतिरिक्त, समाज के सभी क्षेत्रों के आम महिला या पुरूष और पुलिस बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य भी इन पुरस्कारों की पात्रता के दायरे में आते हैं।

3. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से शौर्य पुरस्कारों के लिए हर वर्ष दो बार नामांकन/सिफारिशें आमन्त्रित करने की परम्परा रही है। तथापि, हमारा यह अनुभव रहा है कि बहुत कम सिफारिशें प्राप्त होती हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यक्तियो द्वारा शौर्यपूर्ण कार्य किए जाने की विभिन्न घटनाएं नियमित रूप से उजागर की जाती हैं। जिन राज्य सरकारों या अन्य संगठनों से शौर्यपूर्ण कार्य किए जाने वाला व्यक्ति संबंधित होता है, उनके द्वारा उसके लिए उचित सिफारिश न किए जाने के कारण शौर्य/बहादुरी के ऐसे कार्यों को मान्यता नहीं मिल पाती। अतः, इस मामले पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

4. अतः, आपसे अनुरोध है कि आप इस बार के स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त, 2017 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले शौर्य पुरस्कारों के लिए उपयुक्त नामांकन/सिफारिशें भिजवाने का कष्ट करें। ये सिफारिशें संलग्न प्रपत्र में अधिक से अधिक 30 अप्रैल 2017 तक भेजी जानी है।

5. सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए :-

(i) जिस व्यक्ति का नाम पुरस्कार के लिए संस्तुत किया जा रहा है वह वास्तविक है और पुरस्कार के लिए उपयुक्त है।

(ii) सिफारिश में संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए शौर्य के क्रमवार विवरण एवं उसमें अन्तर्निहित जोखिम की प्रकृति, आदि सहित शौर्य कार्य के सम्पूर्ण विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट या पुलिस प्राधिकारी की अन्य रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों के द्वारा ठीक प्रकार से संपुष्टि की जानी चाहिए।

(iii) जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की जा रही है, उसकी सिफारिश के साथ उस व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापन के बारे में संलग्न प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र भेजा जाए जिसके न होने पर सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) अशोक चक्र श्रृंखला के लिए सिफारिश पर विचार करने हेतु शौय कार्य उक्त अवसर अर्थात इस मामले में गणतंत्र दिवस से दो कलैण्डर वर्ष से अधिक पहले का नहीं होना चाहिए। अतः केवल कैलेण्डर वर्ष 2016 और कैलेण्डर वर्ष 2017 में किए गए शौर्य कार्यों के लिए ही सिफारिशें इस मंत्रालय को भेजी जाएं।

(v) सिफारिशों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख **30.04.2017** का कड़ाई से पालन किया जाए।

(vi) सिफारिश किए गए व्यक्ति का फोटोग्राफ और संक्षिप्त जीवन वृत्त भी भेजा जाना चाहिए।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

वी.के. राजन

(वी. के. राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 4376

गृह मंत्रालय

(पब्लिक अनुभाग)

प्रपत्र

(अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कारों की सिफारिश के लिए प्रपत्र)

भाग-ख

1.	अंग्रजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	हिन्दी में पूरा नाम (साफ अक्षरों में)	
3.	पदनाम, यदि वेतनभोगी है तो	
4.	नियोक्ता का नाम और पूरा पता, यदि कोई हो	
5.	जन्म तिथि/आयु	
6.	निकटतम संबंधी का नाम (मरणोपरान्त पुरस्कार के मामले में)	
7.	पुरस्कार प्राप्तकर्ता के साथ निकटतम संबंधी का रिश्ता	
8.	वर्तमान पता (टेलिफोन/फैक्स/ई-मेल सहित, यदि कोई हो)	
9.	स्थाई पता	
10.	घटना की तारीख	
11.	उस कार्य की प्रकृति जिसके लिए सिफारिश की गई है	
12.	पुरस्कार जिसकी सिफारिश की गई है (अर्थात अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र)	
13.	क्या पुरस्कार मरणोपरान्त है	(हाँ/नहीं)
14.	पहले प्राप्त हुए शौर्य पुरस्कार श्रृंखला के पुरस्कारों का विवरण, यदि कोई हो, वर्ष	
15.	सिफारिश करने वाला प्राधिकारी (पता/टेलिफोन/फैक्स)	

भाग-ख

प्रशास्तिपत्र

नोट करें: प्रशास्ति-पत्र शौर्यपूर्ण कार्य का 200-250 शब्दों में क्रमवार सम्पूर्ण विवरण देते हुए अलग से सलग्न किया जाना चाहिए और इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या पुलिस प्राधिकारी से प्राप्त कोई अन्य रिपोर्ट से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग)
प्रपत्र

(जिस व्यक्ति की सिफारिश की गई है उसके चरित्र एवं पूर्ववृत के सत्यापन के लिए प्रपत्र)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ____

____

के चरित्र एवं पूर्ववृत का सत्यापन कर लिया गया है और यह पुष्टि की जाती है कि उनके खिलाफ किसी प्रतिकुल बात की सूचना नही है।

हस्ताक्षर
सिफारिश करने वाले प्रधिकारी का नाम तथा पदनाम
दिनाक:

____

(* जिस व्यक्ति की सिफारिश की गई है उसका नाम, पिता का नाम और पता)